संख्या- 06 /2019/2169/69-1-16-14(31)/2012टीसी(सी)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :03 जनवरी दिसम्बर, 2019

विषय:-शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में आसरा योजना में आवासों का निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/12टी.सी.(सी.) दिनांक 16 जनवरी, 2016 के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान चयनित पात्र मंत्रियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी आसरा योजना के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे तथा तत्क्रम में योजना का मानकीकरण करते हुए शासनादेश संख्या-1246/69-1-13-14(31)/2012टी.सी.-सी. दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा प्रति आवास निर्माण लागत रू0 2.96 लाख निर्धारित की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या-1005/69-1-14-14(31)/2012टी.सी.-सी. दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा वर्ष 2013 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर योजना की मानकीकृत प्रति आवास निर्माण लागत रू0 2.96 लाख को संशोधित कर रू0 3.94 लाख निर्धारित की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या-2454/69-1-2014-14(31)/2012टी.सी.(सी.) दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर योजना की मानकीकृत प्रति आवास निर्माण लागत रू0 3.94 लाख को संशोधित करते हुए रू0 4.19 लाख निर्धारित की गयी थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर योजना की मानकीकृत प्रति आवास निर्माण लागत रू0 4.19 लाख को संशोधित कर रू0 4.35 लाख निर्धारित की गयी है।

3. अत: उपरिसन्दर्भित शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/12टी.सी.(सी.) दिनांक 16 जनवरी, 2016, शासनादेश संख्या-1246/69-1-13-14(31)/2012टी.सी.-सी. दिनांक 13 अगस्त, 2013, शासनादेश संख्या-1005/69-1-14-14(31)/2012टी.सी.-सी. दिनांक 07 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-2454/69-1-2014-14(31)/2012टी.सी.(सी.) दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। भूकम्परोधी उपचार की लागत जोन-4 के जनपदों हेतु ही अवमुक्त की जायेगी। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तों/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

-2/

संख्या-06/2017/2169(1)/69-1-16-14(31)/2012टीसी(सी) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, कान्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी० एण्ड डी०एस०), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. समस्त नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच० पी० सिंह)

विशेष सचिव।